भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3065

03 अगस्त, 2017 को उत्तर के लिए

खानों का निरीक्षण

3065. श्रीमती कमला देवी पाटलेः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खानों के निरीक्षण में संलग्न एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश में निरीक्षण की गई खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निरीक्षण की गई खानों की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सभी कोयला खानों का निरीक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त खानों का निरीक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियां है जिन्हें आवधिक रूप से खानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है । खानों के निरीक्षण के लिए उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ एजेंसियों का विवरण नीचे दिया है:-

i. **खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस):** भारत के संविधान के तहत, खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य केंद्र सरकार का विषय हैं (प्रविष्टि 55 संघ सूची, अनुछेद 246 के तहत) । इसका प्रशासन, खान अधिनियम, 1952 और उसके अंर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के माध्यम से, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के द्वारा किया जाता है।

ii. **भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम):** भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय, खनिज संरक्षण और विकास नियम 1988 (एमसीडीआर,1988) के प्रावधानों के परिपालन के लिए, अपने निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से, प्रमुख खनिजों की खानों का निरीक्षण करता है ।

iii. **कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ)** : कोयला नियंत्रक का संगठन (मुख्यालयों सहित इसके क्षेत्रीय कार्यालय), गुणवत्ता निगरानी, सीसीडीए परियोजनाओं, खोलने की अनुमति, खान समापन, उत्पाद शुल्क, खंड निरीक्षण आदि के लिए कोयला खान नियंत्रण नियम,

2004 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन (सीसीडीए) नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत कोयला खानों का निरीक्षण करता है।

(ख) से (ग) : छत्तीसगढ़ सहित देश में पिछले तीन वर्षों में निरीक्षित खानों और उनकी वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

i **खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस):** डीजीएमएस संगठन को आठ जोनों में विभाजित किया गया है । खानों के निरीक्षणों/जांचों की तुलनात्मक सांख्यिकी जोन-वार रखी जाती है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की खानों में डीजीएमएस अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों/जांचों की कुल संख्या तथा उनकी वर्तमान स्थिति अनुबंध-I में है ।

ii **भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) :** पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खान ब्यूरो द्वारा छत्तीसगढ़ सहित देश में खानों के किए गए निरीक्षणों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है ।

iii **कोयला नियंत्रक संगठन :** आसनसोल, धनबाद, रांची, सम्बलपुर, बिलासपुर, नागपुर और कोठागुडेम में अवस्थित कोयला नियंत्रक संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निरीक्षण किए गए कोयला खानों के राज्य-वार बयौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं ।

(घ) : देश में कोयला खानों के निरीक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) सभी कोयला खानों का निरीक्षण डीजीएमएस द्वारा खान अधिनियम, 1952 के तहत किया जाता है । तथापि, निरीक्षणों को 'जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली' तथा 'आपातकालीन निरीक्षण' के तहत वर्गीकृत किया जाता है । इस प्रकार प्रत्येक वर्ष डीजीएमएस द्वारा कोयले की सभी खानों का निरीक्षण नहीं किया जाता है ।

(ii) कोयला खानों के लिए जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली की वैज्ञानिक पद्धति तैयार की गई है । इस उद्देश्य के लिए एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है तथा श्रम सुविधा पोर्टल में शामिल किया गया है । डीजीएमएस के निरीक्षण अधिकारी श्रम सुविधा पोर्टल के जरिए बनाई गई निरीक्षण सूची के आधार पर निरीक्षण करते हैं ।

(iii) इसके अतिरिक्त, डीजीएमएस घातक दुर्घटनाओं, आपदाओं और जोखिमपूर्ण घटनाओं आदि के मामले में आपातकालीन निरीक्षण करता है ।

(iv) कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला नियंत्रक नियम, 2004 तथा कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन नियम, 2011 के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण करता है । वर्ष 2016-17 और 2017-18 के जुलाई, 2017 तक के दौरान भारत की सभी कोयला उत्पादक खानों का कोयला नियंत्रक संगठन दल द्वारा निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण हेतु कोई भी खान लंबित नहीं है ।

******

अनुबंध-I

डीजीएमएस द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण

वर्ष / क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17
मध्य क्षेत्र	1259	1412	1812
पूर्वी क्षेत्र	1610	1795	1641
दक्षिण पूर्वी क्षेत्र	1633	1412	1066
पश्चिमी क्षेत्र	1528	1654	1592
दक्षिण मध्य क्षेत्र	1447	1437	1204
दक्षिणी क्षेत्र	914	976	784
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	848	1027	1462
उत्तरी क्षेत्र	1772	1084	2568
हेड क्वार्टर	643	655	801

वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान किए गए निरीक्षण के फलस्वरूप की गई कार्रवाई का विवरण निम्नवत है :

उल्लंघन	अनुमति वापस ली गई	सुधार हेतु नोटिस	निषेधाज्ञा	अभियोग
7015	0	114	55	18

अनुबंध-II

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किए गए निरीक्षणों का राज्य-वार विवरण

क्रं.सं.	राज्य	निरीक्षण		
		2014-15	2015-16	2016-17
1.	आंध्र प्रदेश	297	191	256
2.	असम	3	0	6
3.	बिहार	28	10	4
4.	छत्तीसगढ़	80	53	120
5.	गोवा	7	74	67
6.	गुजरात	122	188	134
7.	हरियाणा	3	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	43	50	46
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0	1	1
10.	झारखंड	227	122	111
11.	कर्नाटक	277	173	164
12.	केरल	49	9	8
13.	मध्य प्रदेश	255	175	209
14.	महाराष्ट्र	77	54	103
15.	मणिपुर	4	0	6
16.	मेघालय	16	21	17
17.	ओडिसा	171	155	102
18.	पंजाब	0	0	0
19.	राजस्थान	376	168	129
20.	सिक्किम	0	0	0
21.	तमिलनाडु	228	140	193
22.	तेलंगाना	73	44	71
23.	उत्तराखंड	57	3	13
24.	उत्तर प्रदेश	13	1	2
25.	पश्चिम बंगाल	21	1	0
	कुल	**2427**	**1633**	**1762**

खान निरीक्षणों के उपरांत की गई कार्रवाई की स्थिति

वर्ष	**2014-16**	**2015-16**	**2016-17**
बताए गए उल्लंघन की सं.	1108	532	683

अनुबंध-III

कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षित कोयला खानों का राज्य-वार विवरण

क्रं.सं.	राज्य	किए गए निरीक्षणों की सं.	किए गए निरीक्षणों की सं.	किए गए निरीक्षणों की सं.
		2015-16	2016-17	2017-18 (जुलाई, 2017 तक)
1.	महाराष्ट्र	99	66	93
2.	मध्य प्रदेश	26	74	59
3.	उत्तर प्रदेश	4	4	4
4.	छत्तीसगढ़	77	60	46
5.	झारखंड	153	142	180
6.	ओडिसा	31	27	45
7.	पश्चिम बंगाल	122	117	132
8.	असम	1	8	0
9.	तेलंगाना	88	118	38